भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4746
गुरूवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कदमत द्वीप पर मिनी हवाई अड्डा

4746. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पर्यटकों, मरीजों और छात्रों के लिए संपर्क में सुधार हेतु विशेष रूप से किल्थान, चेतलाट, बित्रा और अमिनी जैसे उत्तरी द्वीपों के लिए कदमत द्वीप पर एक मिनी हवाई अड्डे के निर्माण पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ख) क्या लक्षद्वीप प्रशासन ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस संबंध में वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कदमत द्वीप के एक आकर्षक पर्यटन स्थल होने के कारण, एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरने की क्षमता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या बेहतर हवाई पहुँच से इस क्षमता का दोहन करने में मदद मिलने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ड.) : संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में, सीप्लेन प्रचालन के लिए उड़ान 4.0 और 4.2 के तहत कवरत्ती, मिनिकॉय, अगाती, कल्पेनी, बितरा, कदमत, किल्थान और बंगाराम नामत: आठ (8) वॉटर एयरोड्रोमों की पहचान की गई है और कवरत्ती-कदमत-कवरत्ती मार्ग को मेसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड को अवार्ड किया गया है। उड़ान सेवाओं का प्रारंभ होना एयरोड्रोम की तैयारी पर निर्भर है।

भारत सरकार (जीओआई) ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास हेतु ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डे को विकसित करना चाहता है, तो उसे एक उपयुक्त स्थल की पहचान करके, व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करवाना होगा और 'स्थल स्वीकृति' तथा उसके बाद 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार को लक्षद्वीप के कदमत द्वीप पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए लक्षद्वीप के संघ शासित प्रशासन या किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता से जीएफए नीति के तहत 'साइट क्लीयरेंस' के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****